न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 16 सन 2024
अनवान :–

1. विधा देवी पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी नोहर तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. अमीलाल उर्फ इमीलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवसी भगवानसर तहसील नोहर।
2. बरजी पुत्री चेतनदास जाति स्वामी निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
3. भंवरलाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर

–असल गैरसायल

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 23/12/25

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 258/255 के खसरा नं. 362/3 की 6.0960 है० भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 16/11 के खसरा नं. 378/3 की 2.1120 है० भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 132/123 के खसरा नं. 378/1 की 2.7190 है0 व 625/1 की 1.5810 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.3000 है० भूमि गैरसायला संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 144/136 के खसरा नं. 378/4 की 0. 4170 है० भूमि गैरसायल संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा नं. 362/3 के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 378/4, 378/3, 378/1 व 378/2 की भूमि आपस में चिपती हुई भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 3 सायला के पड़ोसी काश्तकार है जिन्होने पिछले 3–4 वर्षों से सायला की 0.510 है० भूमि पर नाजायज काश्त करते चले आ रहे है। श्रीमान् नायब तहसीलदार (भू.अ.) खुईया तहसील नोहर के आदेश क्रमांक/भू.अ./194/दिनांक 15.05.2024 की अनुपालना में हल्का पटवारी द्वारा ग्राम भगवानसर के खसरा नं. 362/3 में मौके पर पहुँच कर मोतबिरानों के समक्ष दिनांक 16. 05.2024 को जरीब चलाकर सींमाकन किया गया। सींमाकन में पटवारी हल्का ने पाया कि खसरा नं. 362/3 के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा नं. 378/4, 378/3, 378/1 व 378/2 के काश्तकारों द्वारा खसरा नं. 362/3 की 0.510 है० भूमि पर काश्त की जा रही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि सायला की भूमि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 258/255 के खसरा नं. 362/3 की 6.0960 है० भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता पत्थर गढ़ी कायम की जावे तथा पिछले 3–4 वर्षों से कोरोना काल से गैरसायल संख्या 1 ता 3 सायला की 0.510 है। भूमि काश्त करते आ रहे है इसलिए गैरसायलान संख्या 1 ता 3 से [illegible] 15 गुणा मुआवजा सायला को दिलवाने के आदेश फरमावे व भूमि का कब्जा दिलवाया [illegible]

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी [illegible] नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:53:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने जवाब पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे तो हमे कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 258/255 के खसरा नं. 362/3 की 6.0960 है० भूमि सायला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 16/11 के खसरा नं. 378/3 की 2.1120 है० भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 132/123 के खसरा नं. 378/1 की 2.7190 है0 व 625/1 की 1.5810 है० कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.3000 है० भूमि गैरसायला संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के खाता संख्या 144/136 के खसरा नं. 378/4 की 0. 4170 है० भूमि गैरसायल संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा नं. 362/3 के दक्षिण दिशा में खसरा नं. 378/4, 378/3, 378/1 व 378/2 की भूमि आपस में चिपती हुई भूमि है तथा गैरसायल संख्या 1 ता 3 सायला के पड़ोसी काश्तकार ह

सायल/प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायल का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायल के कथनों की पुष्टि होती है एवं अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थीगण की भूमि के साथ साथ अप्रार्थीगण की भूमि की भी पत्थरगढ़ी की जावे।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायल का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायल की भूमि रोही मौजा भगवानसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 258/255 के खसरा नं. 362/3 की 6. 0960 है० भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:53:42 IST
Reason: SelfAttested